13.11 hrs

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED EXPLOITATION OF EDUCATED YOUTH BY POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत संचार मंत्रालय के डाक-तार विभाग द्वारा बेकार शिक्षित युवक तथा युवतियों के शोषण सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं।

आज भारत में शिक्षित वर्ग में जो बेरोजगारी फैली हुई है उस का लाभ उठा कर संचार मंत्रालय का डाक तार विभाग ग्रेजुएट तथा पोस्ट-ग्रेजुएट युवकों एवं युवतियों को केवल 9 रुपये प्रतिदिन पर रख कर सालों काम करने के बाद भी रेगुलर नहीं कर रहा है। उनको न कोई छुट्टी दी जाती है और न ही कोई अन्य सुविधा। उनको मनमाने ढंग पर लगातार रात की ड्यूटी देने पर मजबूर किया जाता है। संचार मंत्री तुरन्त ही इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। उदाहरण के लिए दिल्ली टेलीफोन में ऐसे कई लोग हैं।

कई जगह तो ऐसा भी है कि वर्षों से कुछ शिक्षित युवक काम कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है। जैसे गोरखपुर आर०एम० एस० में शिक्षित युवकों का शोषण हो रहा है। वहां के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप हैं। उस का स्थानान्तरण तुरन्त करना चाहिए। पता चला है कि यह अधिकारी घूस लेकर अस्थायी नौकरी देने अथवा अस्थायी को स्थायी करने का काम करता है।

(ii) REPORTED FIRE INCIDENT IN ROHUHA RAMPUR VILLAGE IN SAMASTIPUR DISTRICT OF BIHAR

श्री रामसेवक हजारी (रोसड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक अविलम्बनीय महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 6-4-78 को 2 1/2 बजे दिन में बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के अन्तर्गत रोहुहा, रामपुर गांव में, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है बिजली पोल का तार ढीला रहने के कारण तेज पछुआ हवा से तारों के रगड़ से बगल के एक पक्के मकान पर रखे हुए पोवालों में आग लग गई जिससे लगभग 400 परिवारों के घर एवं सारा सामान जल कर स्वाहा हो गया। लोगों की जानें बच गई और सिर्फ चार पांच मवेशी जल गये। करोड़ों रुपयों की क्षति हुई। उक्त ग्राम में 1970 में भी इसी तरह की भयंकर आगजनी की घटना हुई थी। मात्र सात बरसों में लगातार दो घटनाओं से सारे लोगों के सामने अन्धकार ही अन्धकार है। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे सहायता कार्य नगण्य से हैं। उक्त ग्राम से केन्द्र सरकार को लगभग 13 लाख रुपये प्रतिवर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में मिलता है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त ग्राम के पीड़ित लोगों के सहायता-कार्य के लिए विशेष रूप से धनराशि आवंटित कर के राज्य सरकार को सहायता कार्य चलाने का निर्देश दिया जाये। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की माफी का आदेश दिया जाये। मैं यह भी विनम्र आग्रह करता हूं कि प्रधान मंत्री जी अपने कोष से भी पीड़ित परिवारों को सहायता दें। इस के साथ ही बिजली विभाग द्वारा बरती गई लापरवाही की भी शीघ्र जांच होनी चाहिए।

(iii) REPORTED USE OF TELEPHONE BILL FORMS IN HINDI BY POST AND TELEGRAPH DEPARTMENT

SHRI K GOPAL (Karur) Mr Deputy Speaker Sir with your permission I wish to bring to the notice of this House and your goodself a matter of public importance, the breach of assurances given by the Prime Minister from time to time regarding the language issue We were assured that Hindi will not be imposed on non-Hindi speaking people I enclose herewith a telephone bill which is only in Hindi